मैसर्स फ़रीदाबाद गुड़गांव मिनरल्स बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(रंजीत सिंह जे.)

माननीय न्यायमूर्ति रंजीत सिंह के समक्ष

मेसर्स फ़रीदाबाद गुडगाँव खनिज

- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य व अन्य

-उत्तरदाता

C.W.P. 2009 की संख्या 1300

21 जनवरी 2010

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226—पंजाब लघु खनिज रियायत नियम, 1964—नियम 10ए व 18—सर्वोच्च न्यायालय ने संपूर्ण अरावली पहाड़ियों में सभी खनन कार्यों को रोकने और गैर-वन क्षेत्रों में खनन कार्यों को फिर से शुरू करने की अनुमति देने का निर्देश दिया—याचिकाकर्ता के पक्ष में लघु खनिजों के लिए पट्टे समाप्त हो रहे हैं, इसलिए, उन्हें प्रमुख खनीज़ो का खनन पट्टे पर देने का प्रश्न "एक क्षेत्र एक पट्टेदार" के सिद्धांत पर उपलब्ध नहीं हैं - याचिकाकर्ता अपने खनन पट्टे के विस्तार के लिए इस आधार पर अभ्यावेदन दाखिल कर रहे हैं कि नीलामी में उनके द्वारा लिया गया क्षेत्र संचालन के लिए कम कर दिया गया है - याचिकाकर्ता पहले 1964 नियमों के नियम 18 के अनुसार अपने खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए अभ्यावेदन दे रहे हैं पूरी तरह से यह जानते हुए कि उक्त नियम को राज्य द्वारा छोड़ दिया गया था - याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थनाओं को काफी भ्रामक और रखरखाव योग्य नहीं बताया जा सकता - याचिका लागत सहित खारिज कर दी गई।

यह निर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता को 30 अक्टूबर, 2001 को सिरोही और खोरी जमालपुर पत्थर खदानों के लिए नीलामी के माध्यम से रेत, सड़क धातु और चिनाई पत्थर की खदानों का खनन पट्टा दिया गया था। यह पट्टा 6 फरवरी, 2002 से 5 फरवरी,2009 तक सात साल की अवधि के लिए था।पूरी तरह से जानते हुए कि उनका पट्टा 5 फरवरी, 2009 को समाप्त हो जाएगा, वर्तमान याचिका 24 जनवरी, 2009 को दायर की गई जब

याचिकाकर्ता के पक्ष में खनिज खनन का पट्टा समाप्त होने वाला था। एक बार जब याचिकाकर्ता के पक्ष में लघु खनिजों के लिए पट्टा समाप्त हो रहा था, तो उन्हें "एक क्षेत्र एक पट्टेदार" के सिद्धांत पर सिलिका रेत, चाइना क्ले और क्वार्टजाइट जैसे प्रमुख खनिजों के लिए खनन पट्टा देने का सवाल निश्चित रूप से उपलब्ध नहीं था। याचिकाकर्ता-कंपनी ने बड़ी चातुराई से 14 दिसंबर, 2008 और 26 दिसंबर, 2008 को इस आधार पर अपने खनन पट्टे के विस्तार के लिए अभ्यावेदन दायर किया कि नीलामी में उनके द्वारा लिया गया क्षेत्र ऑपरेशन के लिए कम कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता ने पहले 29 अगस्त, 2008 को नियमों के नियम 18 के संदर्भ में अपने खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए एक अभ्यावेदन दिया था, यह जानते हुए भी कि राज्य द्वारा 9 अक्टूबर, 2001 को पेश किए गए एक संशोधन के माध्यम से उक्त नियम को हटा दिया गया था। उक्त अभ्यावेदन में, विकल्प में नियम 28 का हवाला देते हुए खनन पट्टे के विस्तार के लिए प्रार्थना की गई थी। याचिकाकर्ता अच्छी तरह से जानता था कि यह नियम लागू नहीं था क्योंकि यह खनन अनुबंधों को नियंत्रित करता है, न कि उन खनन पट्टों को जो नीलामी के माध्यम से दिए गए थे। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थनाओं को काफी भ्रामक और पोषणीय नहीं बताया जा सकता है।

(पैरा 4)

इसके अलावा, यह माना गया कि भले ही कोई यह मानता हो कि नवीनीकरण की शक्ति उपलब्ध है, इसे अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है। एक बार की गई प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई, परन्तु फिर भी यह दृष्टिकोण अपनाया गया है जो किसी उद्देश्य व मकसद से प्रतीत होता है। इस प्रकार वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा की गई कोई भी प्रार्थना उचित व विचारणीय नहीं है। वर्तमान याचिका अदालत के समय की बर्बादी है। याचिकाकर्ता यह कहकर किसी न किसी आधार पर स्थगन की मांग करता रहा कि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। एक सुनवाई के दौरान, वकील ने माना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कारण रिट याचिका में की गई प्रार्थना का हिस्सा निरर्थक हो गया है लेकिन फिर भी वह नियमावली के नियम 18 को विलोपित किये जाने के संबंध में प्रस्तुतियाँ देना चाहता था।

(पैरा12 और 13)

अक्षय भान, एडवोकेट, याचिकाकर्ता के लिए

सुनील नेहरा, सीनियर. D.A.G, हरियाणा के लिए

रणजीत सिंह, जे.

(1) खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरण के क्षरण से बेपरवाह, याचिकाकर्ता-कंपनी ने एक अजीब प्रार्थना के साथ इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है। लगभग सात वर्षों तक खनिज निकालकर हत्या करने के बावजूद याचिकाकर्ता की लालच और मुनाफा कमाने का लोभ असंतुष्ट रहां है। दिल्ली की सीमाओं के करीब अरावली पहाड़ी क्षेत्र में खनन गतिविधि को रोकने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से भी याचिकाकर्ता-कंपनी के कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा व कंपनी ने अपने कारनामें जारी रखे। याचिकाकर्ता के लिए लाभ ही एकमात्र उद्देश्य है और कोई अन्य चिंता नहीं है। उनके कार्यों से क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ रहा है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी देखा है।

जैसा कि उल्लेख किया गया है, अरावली पहाड़ी क्षेत्र में खदानें आमतौर पर क्षेत्र के दूरदराज के खनिज समृद्ध जिलों में समूहों में स्थित हैं, जहां जीवन स्तर निम्न है और पर्यावरण के प्रति लोगों की समझ खराब है। खनन समुदाय का रवैया पूरी तरह से पर्यावरण संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज करने का रहा है, जिसका उद्देश्य जल्दी पैसा कमाना है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अरावली पहाड़ी क्षेत्र में संपूर्ण खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना पड़ा। फिर भी, याचिकाकर्ता जैसे व्यक्ति 13 अप्रैल, 2006 के अनुलग्नक पी-12 में संशोधन की मांग करके इस प्रतिबंध आदेश से राहत पाने में सक्षम थे।

(2) अनुलग्नक पी-12 के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा खनन किए जा रहे इस क्षेत्र में भी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग के लिए प्रति दिन बड़ी संख्या में ट्रकों की आवाजाही दिखाने वाली तस्वीर को आधार बनाया गया था। यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता-कंपनी के नियंत्रण वाले इस क्षेत्र में खनन पर प्रतिबंध लगाने से इंकार कर दिया, फिर भी न्यायालय ने इस क्षेत्र में खनन गतिविधि के प्रभाव और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को निर्धारित करने के लिए एक रिपोर्ट मांगी ताकि यह विचार किया जा सके कि क्या पर्यावरण को गिरावट से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करके इस क्षेत्र में खनन की अनुमति देना संभव होगा या वैकल्पिक रूप से खनन गतिविधि पर रोक लगाना संभव होगा। यह शुरुआत याचिकाकर्ता के लिए वर्तमान मामले में राहत के साथ इस अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन है जो कि अनुचित, अकारण व एक हद तक बेतुका है।

(3) याचिकाकर्ता-कंपनी ने जिला फरीदाबाद के खोरी जमालपुर और सिरोही गांवों में सिलिका रेत, चीनी मिट्टी और क्वार्टजाइट के लिए खनन पट्टा देने के लिए 21 फरवरी, 2006 को प्रस्तुत आवेदन पर हरियाणा राज्य सरकार को निर्णय लेने और अनुदान देने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है। उसी के साथ क्षेत्र में उपलब्ध सड़क धातु और चिनाई पत्थर के लघु खनिजों के लिए खनन पट्टे के निर्देश की भी प्रार्थना की है। पंजाब लघु खनिज

रियायत नियम, 1964 (संक्षेप में "नियम") के नियम 10ए का हवाला देकर यह प्रार्थना की गयी कि यह क्षेत्र "एक क्षेत्र एक पट्टेदार" के सिद्धांत के अनुसार खनन के लिए याचिकाकर्ता को दिया जाना चाहिए। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में देखने पर यह प्रार्थना आसानी से अनुचित कही जा सकती है।

(4) याचिकाकर्ता को 30 अक्टूबर, 2001 को सिरोही और खोरी जमालपुर पत्थर खदानों के लिए नीलामी के माध्यम से रेत, सड़क धातु और चिनाई पत्थर की खदानों का खनन पट्टा दिया गया था। यह पट्टा 6 फरवरी, 2002 से 5 फरवरी, 2009 तक सात साल की अवधि के लिए था।

पूरी तरह से जानते हुए कि उनके कारनामे 5 फरवरी, 2009 को समाप्त हो जाएंगे, वर्तमान याचिका 24 जनवरी, 2009 को दायर की गई थी जब याचिकाकर्ता के पक्ष में खनिज खनन का पट्टा समाप्त होने वाला था। एक बार लघु खनिजों के पट्टे समाप्त हो रहे थे, तो उन्हें "एक क्षेत्र एक पट्टेदार" के सिद्धांत पर सिलिका रेत, चाइना क्ले और क्वार्टजाइट जैसे प्रमुख खनिजों के लिए खनन पट्टे देने का सवाल ही नहीं था। चतुराई से याचिकाकर्ता-कंपनी ने 14 दिसंबर, 2008 और 26 दिसंबर, अनुलग्नक पी-12 के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा खनन किए जा रहे इस क्षेत्र में भी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग के लिए प्रति दिन बड़ी संख्या में ट्रकों की आवाजाही दिखाने वाली तस्वीर को आधार बनाया गया था। यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता-कंपनी के नियंत्रण वाले इस क्षेत्र में खनन पर प्रतिबंध लगाने से इंकार कर दिया, फिर भी न्यायालय ने इस क्षेत्र में खनन गतिविधि के प्रभाव और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को निर्धारित करने के लिए एक रिपोर्ट मांगी ताकि यह विचार किया जा सके कि क्या पर्यावरण को गिरावट से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करके इस क्षेत्र में खनन की अनुमति देना संभव होगा या वैकल्पिक रूप से खनन गतिविधि पर रोक लगाना संभव होगा। यह शुरुआत याचिकाकर्ता के लिए वर्तमान मामले में राहत के साथ इस अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन है जो कि अनुचित, अकारण व एक हद तक बेतुका है।

अनुलग्नक पी-12 के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा खनन किए जा रहे इस क्षेत्र में भी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग के लिए प्रति दिन बड़ी संख्या में ट्रकों की आवाजाही दिखाने वाली तस्वीर को आधार बनाया गया था। यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता-कंपनी के नियंत्रण वाले इस क्षेत्र में खनन पर प्रतिबंध लगाने से इंकार कर दिया, फिर भी न्यायालय ने इस क्षेत्र में खनन गतिविधि के प्रभाव और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को निर्धारित करने के लिए एक रिपोर्ट मांगी ताकि यह विचार किया जा सके कि क्या पर्यावरण को गिरावट से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करके इस क्षेत्र में खनन की अनुमति देना संभव होगा या वैकल्पिक रूप से खनन गतिविधि पर रोक लगाना संभव होगा। यह

शुरुआत याचिकाकर्ता के लिए वर्तमान मामले में राहत के साथ इस अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन है जो कि अनुचित, अकारण व एक हद तक बेतुका है।

याचिकाकर्ता-कंपनी ने जिला फरीदाबाद के खोरी जमालपुर और सिरोही गांवों में सिलिका रेत, चीनी मिट्टी और क्वार्टजाइट के लिए खनन पट्टा देने के लिए 21 फरवरी, 2006 को प्रस्तुत आवेदन पर हरियाणा राज्य सरकार को निर्णय लेने और अनुदान देने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है। उसी के साथ क्षेत्र में उपलब्ध सड़क धातु और चिनाई पत्थर के लघु खनिजों के लिए खनन पट्टे के निर्देश की भी प्रार्थना की है। पंजाब लघु खनिज रियायत नियम, 1964 (संक्षेप में "नियम") के नियम 10ए का हवाला देकर यह प्रार्थना की गयी कि यह क्षेत्र "एक क्षेत्र एक पट्टेदार" के सिद्धांत के अनुसार खनन के लिए याचिकाकर्ता को दिया जाना चाहिए। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में देखने पर यह प्रार्थना आसानी से अनुचित कही जा सकती है।

याचिकाकर्ता को 30 अक्टूबर, 2001 को सिरोही और खोरी जमालपुर पत्थर खदानों के लिए नीलामी के माध्यम से रेत, सड़क धातु और चिनाई पत्थर की खदानों का खनन पट्टा दिया गया था। यह पट्टा 6 फरवरी, 2002 से 5 फरवरी, 2009 तक सात साल की अवधि के लिए था।

पूरी तरह से जानते हुए कि उनके कारनामे 5 फरवरी, 2009 को समाप्त हो जाएंगे, वर्तमान याचिका 24 जनवरी, 2009 को दायर की गई थी जब याचिकाकर्ता के पक्ष में खनिज खनन का पट्टा समाप्त होने वाला था। एक बार लघु खनिजों के पट्टे समाप्त हो रहे थे, तो उन्हें "एक क्षेत्र एक पट्टेदार" के सिद्धांत पर सिलिका रेत, चाइना क्ले और क्वार्टजाइट जैसे प्रमुख खनिजों के लिए खनन पट्टे देने का सवाल ही नहीं था। चतुराई से याचिकाकर्ता-कंपनी ने 14 दिसंबर, 2008 और 26 दिसंबर, 2008 को इस आधार पर अपने खनन पट्टे के विस्तार के लिए अभ्यावेदन दायर किया कि नीलामी में उनके द्वारा लिया गया क्षेत्र संचालन के लिए कम कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने पहले 29 अगस्त, 2008 को नियमों के नियम 18 के संदर्भ में अपने खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए एक अभ्यावेदन दिया था यह जानते हुए भी कि राज्य सरकार द्वारा 9 अक्टूबर, 2001 को पेश किए गए एक संशोधन के माध्यम से उक्त नियम को हटा दिया गया था। उक्त अभ्यावेदन में विकल्प में नियम 28 के संदर्भ में खनन पट्टे के विस्तार के लिए प्रार्थना की गई थी। याचिकाकर्ता अच्छी तरह से जानता था कि यह नियम लागू नहीं था क्योंकि यह खनन अनुबंधों को नियंत्रित करता है न कि उन खनन पट्टों को जो नीलामी के माध्यम से दिए गए थे। इस प्रकार वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थनाओं को काफी भ्रामक और बनाये रखने योग्य नहीं बताया जा सकता है।

(5) याचिकाकर्ता के 29 अगस्त, 2008 के अभ्यावेदन को 19 नवंबर, 2008 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से राज्य नियमों के नियम 10 के तहत दिए गए खनन पट्टे के

नवीनीकरण या विस्तार का कोई प्रावधान नहीं था। यह तर्क और कारणों पर खरा उतरता है। एक बार यदि नीलामी एक विशेष अवधि के लिए दी जाती है तो यह सोचना बेतुका होगा कि इसे बढ़ाया जा सकता है। इसे खनन गतिविधि पर प्रतिबंध की पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के दुस्साहस पर विश्वास किया जा रहा है। याचिकाकर्ता सरकार को खनन पट्टे को नवीनीकृत करने के लिए नियमों में संशोधन करने का सुझाव देने की हद तक चला गया है। राज्य का इस प्रार्थना को बेतुका और यहां तक कि विचार करने लायक नहीं बताना पूरी तरह उचित है।

(6) प्रवेश करने के बाद और क्षेत्रों का भरपूर शोषण करने के बाद, याचिकाकर्ता-कंपनी स्पष्ट रूप से अपना कब्ज़ा बनाए रखना चाहती है। वे किसी तरह इस क्षेत्र में बने रहने और खनन गतिविधियों को जारी रखने के लिए कोई न कोई तरीका अपना रहे हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए याचिकाकर्ता ने यह दूसरा रास्ता अपनाया है। यचिकाकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि क्षेत्र में खनन के दौरान ही याचिकाकर्ता को सिलिका रेत, चाइना क्ले और क्वार्टजाइट सभी प्रमुख खनिजों की उपस्थिति का पता चला। प्रमुख खनिजों की उपलब्धता की सीमा की जांच करने के लिए याचिकाकर्ता-कंपनी ने आवेदन किया था और उन्हें खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 9 के अनुसार उनके संचालन के क्षेत्र में पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान किया गया था। याचिकाकर्ता ने भूवैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान पाए गए इन प्रमुख खनिजों के भंडार को दिखाने के लिए याचिका (अनुलग्नक पी-6) के साथ संलग्न रिपोर्ट का संदर्भ दिया। याचिकाकर्ता ने तदनुसार इन प्रमुख खनिजों के लिए खनन पट्टा देने के लिए आवेदन किया। यह आकर्षक उपलब्धता ही है जो याचिकाकर्ता को किसी तरह इस क्षेत्र में बने रहने के लिए प्रेरित करती दिख रही है। याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया यह आवेदन कथित तौर पर लंबित है और इसलिए अदालत से अनुरोध किया गया है कि राज्य को इस पर निर्णय लेने के लिए निर्देश जारी किया जाए।

(7) सबसे अनुचित रूप से याचिकाकर्ता-कंपनी ने इस आधार पर विस्तार के लिए अपने दावे पर दबाव डाला कि नीलामी नोटिस की शर्तों के उल्लंघन में कुछ क्षेत्र कम कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 33,57,69,270 रुपये का नुकसान हुआ और इस प्रकार यचिकाकर्ता ने अदालत से इस नुकसान की भरपाई के लिए विस्तार की प्रार्थना की।

(8) इस मामले में दाखिल जवाब से जो तथ्य सामने आए उससे सही तस्वीर व याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कारनामों और मुनाफे का पता चलेगा। यह इंगित करते हुए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों में दिल्ली-हरियाणा सीमा पर 5 किलोमीटर के भीतर सभी खनन कार्यों को रोकने का निर्देश दिया था, यह कहा गया है कि गतिविधियाँ 7 मई, 2002 को बंद कर दी गई थीं। इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर हरियाणा से राजस्थान तक संपूर्ण अरावली पहाड़ियों में खनन गतिविधियाँ बंद कर दी गईं। यह 9 दिसंबर,

2002 को हुआ। हालांकि, 16 दिसंबर, 2002 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश को संशोधित किया और गैर-वन क्षेत्रों में खनन कार्यों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी। इस प्रकार जवाब में यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता के खनन कार्यों को केवल 9 दिसंबर, 2002 से 16 दिसंबर, 2002 तक रोक दिया गया था और उसके बाद उन्हें संचालन की अनुमति दी गई थी। इसका प्रभाव यह हुआ कि समझे गये वन क्षेत्र को छोड़कर बाकि क्षेत्रों में यचिकाकर्ता द्वारा खनन गतिविधियां की जा सकीं। यह बताया गया कि फ़रीदाबाद और गुड़गांव जिलों में सिर्फ दो खदानें जो कि सिरोही और खोरी जमालपुर में हैं पूर्ण रूप में चल रही थीं। इस प्रकार दिल्ली बाजार सहित क्षेत्रों में निर्माण सामग्री की पूरी मांग इन खदानों से पूरी की जाती थी। इसने याचिकाकर्ता के लिए लगभग एकाधिकार की स्थिति पैदा कर दी। याचिकाकर्ता ने भारी वितत्तिय सफलता पाने के लिए भारी मुनाफ़ा कमाया। यह आग्रह करना कि उनके संचालन के क्षेत्र में किसी भी कमी के कारण उन्हें नुकसान हुआ, अरुचिकर और, इस प्रकार, अस्वीकार्य है।

(9) यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रारंभिक प्रतिनिधित्व लघु खनिजों के लिए खनन पट्टे को हटाने के लिए था। यह जानते हुए कि इसे अधिकृत करने वाला नियम 18 वापस ले लिया गया है, वैकल्पिक सुझाव नियमों के नियम 28 के तहत दो साल के अनुबंध के विस्तार का था। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, यह नियम उस समय लागू नहीं था। जब ये प्रार्थनाएं खारिज कर दी गईं तो याचिकाकर्ता ने 33.57 करोड़ रुपये की मुआवजे की मांग की। विकल्प के तौर पर अवधि चार साल बढ़ाने की प्रार्थना की गयी। याचिकाकर्ता पर्यावरण क्षरण के प्रति भी बेपरवाह रहा। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत केंद्र द्वारा गठित समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की अनदेखी है जिसमें यह सुझाव दिया गया कि जिला फरीदाबाद की अरावली पहाड़ियों में प्रमुख खनिजों के खनन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

(10)उपरोक्त सभी बातों से अवगत होने के बावजूद याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी दलील पर जोर दिया और नियमों से नियम 18 को हटाने में सरकार की कार्रवाई को चुनौती दी, जिसने पहले सरकार को मूलतः प्रदान किये गये खनन पट्टे को नवीनीकृत करने का अधिकार दिया था। यह नियम 9 अक्टूबर, 2001 को हटा दिया गया था लेकिन अब इसे वर्ष 2009 में चुनौती दी गई है। जब याचिककर्ता ने नीलामी में सफलतापूर्वक भाग लिया था तब याचिककर्ता को इस स्थिति के बारे में अच्छी तरह से पता था ।नियम 18 की चूक को चुनौती देने की इस प्रार्थना पर जिस तरह से विश्वास किया जाता दिख रहा है। मेरे समक्ष यह आग्रह किया गया कि केंद्रीय अधिनियम की धारा 15 राज्य सरकार को लघु खनिजों से संबंधित नियम बनाने का अधिकार देती है और इस प्रकार अनुदान के साथ-साथ नवीनीकरण के लिए भी नियम बनाए जा सकते हैं। फिर यह निवेदन किया गया कि

राज्य सरकार को पट्टा देने के साथ-साथ इसके नवीनीकरण के लिए भी प्रावधान करना चाहिए। निवेदन किया गया कि यदि खनन पट्टा देने से संबंधित कोई प्रावधान है तो उसके नवीनीकरण का भी प्रावधान होना चाहिए।

(11)एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसे ऐसी स्थिति का प्रचार कर सकता है, यह मेरे सामने अपनाई गई समर्पण की पंक्ति से सीखा जा सकता है। वकील ने इस आधार पर नवीकरण के लिए प्रावधान बनाने के लिए प्रार्थना पर जोर दिया कि अनुदान और नवीकरण के लिए नियम बनाने के लिए एक सक्षम प्रावधान है।केंद्रीय अधिनियम की धारा 15 राज्य सरकार को अनुदान या नवीनीकरण के लिए नियम बनाने का विवेक देने वाला एक सक्षम प्रावधान मात्र है लेकिन यह किसी व्यक्ति को राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए निर्देश मांगने का कोई अधिकार नहीं देता है। यदि राज्य सरकार को नियम बनाने भी थे तो राज्य सरकार को ही तय करना था कि वह किस क्षेत्र में नियम बनाना चाहेगी, अनुदान के लिए या नवीनीकरण के लिए या किसी के लिए नहीं। बल्कि, राज्य को नियम 18 को हटाने की सही सलाह दी गई थी जो नीलामी के मामले में पट्टे की अवधि को नवीनीकृत करने के लिए अधिकृत था क्योंकि यह अपने आप में अनुचित होता किसी को नीलामी की उस अवधि से आगे काम करने की अनुमति देना जिसके लिए उसने शुरू में बोली लगाई थी, दूसरों को खनन पूरा करने और बोली लगाने से वंचित कर देगा

(12)भले ही कोई यह मानता हो कि नवीनीकरण की शक्ति उपलब्ध है, इसे अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है। एक बार की गई प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई, परन्तु फिर भी यह दृष्टिकोण अपनाया गया है जो किसी उद्देश्य व मकसद से प्रतीत होता है। इस प्रकार, वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा की गई कोई भी प्रार्थना उचित और विचारणीय नहीं है।

(13)वर्तमान याचिका अदालत के समय की बर्बादी है। याचिकाकर्ता यह कहकर किसी न किसी आधार पर स्थगन की मांग करता रहा कि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। एक सुनवाई के दौरान वकील ने माना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कारण रिट याचिका में की गई प्रार्थना भले ही निष्फल हो गई हो, लेकिन फिर भी वह नियमों के नियम 18 को हटाने के अधिकार के संबंध में दलीलें देना चाहता था।

(14)यह ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 8 अक्टूबर, 2009 द्वारा राज्य को फ़रीदाबाद और गुड़गांव जिलों में प्रमुख खनिजों के सभी लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया था। इसके बाद, इस आधार पर एक समीक्षा आवेदन दायर किया गया कि आदेश पारित होने पर कोई भी व्यक्ति, जिनके पास प्रमुख खनिजों का लाइसेंस था, अदालत के समक्ष पक्षकार नहीं थे। उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा की गई किसी भी दलील में कोई दम नहीं है। यह याचिका परोक्ष उद्देश्यों के साथ दायर की

गई प्रतीत होती है ताकि याचिकाकर्ता को समीक्षा याचिका में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पक्ष बनने में सक्षम बनाया जा सके, क्योंकि अन्यथा याचिकाकर्ता के पास प्रमुख खनीज़ों का पट्टा नहीं है। याचिकाकर्ता इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए मामला पेश किया कि प्रमुख खनिजों के अनुदान के लिए उसका आवेदन लंबित था, जबकि उनके पास इस संबंध में कोई पट्टा नहीं था। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से इस तरह की रणनीति अपनाकर अदालत तक पहुंचने का प्रयास किया है। अनजाने में न्यायालय को कोई ऐसा आदेश पारित करना पड़ा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई भावना और दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं था। दरअसल, पूरी मंजूरी और प्रार्थनाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के खिलाफ हैं।

(15)इसलिए, रिट याचिका 50,000 रुपये की अनुकरणीय लागत के साथ खारिज की जाती है।आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक महीने के भीतर याचिककर्ता को लागत कानूनी सेवा प्राधिकरण, हरियाणा के खातों में जमा करने का निर्देश दिया जाता है। महाधिवक्ता आदेश के इस भाग का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।[1]

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

बेनिका

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

रेवाड़ी, हरियाणा

आर.एन.आर